निग0-4671/2018/सतना/भू.रा. (141)

(235)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा
जिला रीवा म0प्र0

चन्द्रिका प्रसाद तनय रोहिणी प्रसाद उम्र 59 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम तिउनी तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

1—वरिष्ठ सहायक मण्डल इन्जी0 पश्चिम मध्य रेल्वे भारत सरकार

2— म0प्र0 शासन —— गैर निगरानीकर्ता

आवेदक अभिभाषक श्री ब्रजनाथ पाण्डेय एड. द्वारा पेश 30-7-18
30-7-18
रीडर ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व आदेश कलेक्टर सतना के प्र0क0 12अ74 /13—14 आदेश दिनांक 26—05—18

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 स0 1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :—

ग्राम तिवनी कि आराजी नम्बर 589 जिसका कुल रकवा 5.181 हे0 था जिसके पट्टेदार पूर्व में आवेदक के पिता व चाची उर्मिला देवी थी। जिसका विभाजन वर्ष 86—87 में हो गया था। जिसके पट्टेदार निगरानीकर्ता के पिता व चाची उर्मिला व उर्मिला का पुत्र सनत कुमार का हुआ और अन्य भूमियों के साथ जिसमें आवेदक के पिता को कुल रकवें में 12.79 डि0 भूमि में से 10.11 एकड भूमि हिस्से में मिली तथा शेष भूमि उर्मिला व सनत कुमार को मिली/ उक्त भूमि का अधिग्रहण रेल्वे द्वारा किया गया उक्त अधिग्रहण की नोटिस आवेदक के पिता व चाची उर्मिला देवी के नाम पर बनाया गया । जिस पर आवेदक के पिता कि भूमि आराजी नं0 589/1 से रकवा 0.545 यानी 1.35 ए0 भूमि का मुआवजा दिया गया जिसे आवेदक के **पिता ने प्राप्त** कर लिया तथा 589/3 का मुआवजा उर्मिला देवी के **नाम पर बनाया** गया था जो उर्मिला देवी को प्राप्त नहीं हुआ था रेल्वे में जो **उर्मिला देवी** के नाम पर मुआवजा बनाया

(111)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R. 4761/2018/भू.रा० जिला– सतना

चंद्रिका प्रसाद विरूद्ध वरिष्ठ सहा० रेलवे

(1)	(2)	(3)
16-1-19-	1. आवेदक की ओर से श्री सूर्यनाथ पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ ~~अपर कलेक्टर~~, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 12/अ-74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26.05.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.3.18 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

दिया गया जिस आपत्ति ...

मुआवजा उर्मिला देवी के **नाम पर बनाया** गया था जो उर्मिला देवी को प्राप्त नहीं हुआ था रेल्वे में जो **उर्मिला** देवी के नाम पर मुआवजा बनाया